तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
18-11-24	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी। श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी। **आदेश** 1– हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अप्रार्थी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखंड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद उपखंड अधिकारी सीकर ने प्रार्थी को नोटिस जारी किए। प्रार्थी अनपढ महिला होने के कारण तामीली नहीं समझ सकी एवं न ही उसे कानूनी तथ्यों की जानकारी है। विवादित आराजी प्रार्थीनी की पिता की खातेदारी की आराजी है, जिसमें उसका हित निहित है। एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे त्रुटिपूर्ण तरीके से खारिज किया गया है। न्यायिक सिद्धांत के अनुरूप समस्त पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था। प्रार्थीया के पक्ष में होने वाली अपूर्णीय क्षति तथा उनके न्यायिक हितो को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त जावे। 3– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया नोटिस तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र 9 वर्ष बाद प्रस्तुत किया और विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया। प्रकरण में तनकीयात भी बना ली गई थी। निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिवत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी सारहीन	

होने से खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने 2010(2)डीएनजे पेज 721, 2017(1) डीएनजे पेज 408 व 2018 आरबीजे पेज 762 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5— अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया। उपखंड अधिकारी द्वारा प्रार्थीया की तामील विधिवत् मानते हुए एवं संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी खारिज किया है।

6— हमारी सुविचारित राय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप किसी पक्ष को अपना जवाब रखने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रकरण साक्ष्य वादी के स्तर पर जैरकार है तथा प्रार्थीया को वाद में कार्यवाही किए जाने की इजाजत देने से किसी पक्ष पर विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना भी नहीं है, अपितु प्रार्थीया के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने से उसे अपना पक्ष रखने में सहायता प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रार्थीया के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को न्यायहित में 500/— रूपये की कोस्ट पर निरस्त किया जाता है।

7— अतः हस्तगत् निगरानी 500/—रूपये की कोस्ट पर स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी सीकर का आदेश दिनांक 05—12—2005 निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीया के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाती है। प्रार्थीया कोस्ट राशि अधीनस्थ न्यायालय में जमा करावे। उभय पक्ष न्यायालय उपखंड अधिकारी सीकर के समक्ष वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं दिनांक 11—12—2024 को उपस्थित होवें।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

निगरानी / टी.ए./ 6089 / 2005 / जिला सीकर
राधा बनाम गोरधन